



22 SEP 2022
Date

सन्दर्भ/Ref No - 3149

/गुनि-12(XVIII)/एमपीसीडीएफ/2022/भोपाल

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर।

विषय : अपमिश्रित दूध की आवक पर नियंत्रण बावत्।

विषयान्तर्गत दुग्ध संघ की माह अगस्त 2022 की मासिक अपमिश्रण रिपोर्ट के परीक्षण से संज्ञान में आया है कि, भाण्डेर के 01 सेम्पल में तथा RMRD बामौर में 14 दुग्ध शीत केन्द्र दुग्ध समितियों से प्राप्त हो रहे कच्चे दूध में अपमिश्रण प्राप्त हुआ है।
विवरण निम्नानुसार है :-

दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम	परीक्षण की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या	मात्रा किलोग्राम	अपमिश्रण का प्रकार	की गई कार्यवाही
भाण्डेर	73	01	106.7	ग्लूकोज	अपमिश्रित पाए गए दूध को निरस्त कर नष्ट किया गया।
आर.एम.आर.डी. बामौर संयंत्र	249	14	760	RM Value (Reichert Meissel Value)	
			274	Abnormal Milk/Ghee	
कुल मात्रा किलोग्राम =			1140.7		

पूर्व में भी एमपीसीडीएफ स्तर से समय-समय पर अपमिश्रित दूध की आवक पर नियंत्रण हेतु अपमिश्रित दूध प्रदाय करने वाली समितियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने, दुग्ध सहकारी समिति स्तर पर अपमिश्रण के परीक्षण हेतु किट/स्ट्रिप उपलब्ध कराने एवं अपमिश्रित दूध संघ को प्राप्त होने पर उक्त दूध को नष्ट करते हुए संबंधित अमले का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपमिश्रण नियंत्रण हेतु एमपीसीडीएफ द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।



प्रबंध संचालक

